सर्वोच्च प्राथमिकता

संख्या-1779 /नौ-8-2014 -20ज/2012

प्रेषक,

अनीता सी. मेश्राम,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1 निदेशक,
नगरीय निकाय,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

2 समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।

3 समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश

4 समस्त नगर आयुक्त,
नगर निगम, उत्तर प्रदेश।

5 समस्त अधिशाषी अधिकारी,
नगर पालिका परिषद/ नगर पंचायत
उत्तर प्रदेश । (द्वारा सम्बन्धित
जनपद के जिलाधिकारी)

नगर विकास अनुभाग-8

लखनऊ दिनांक 15 जुलाई, 2014

विषय-स्टेट सर्विस डिलीवरी गेटवे (एस.एस.डी.जी.) के अन्तर्गत ई-फार्म्स द्वारा जन सामान्य को नगर विकास विभाग द्वारा उपलब्ध करायी जाने वाली विभिन्न शासकीय सेवाओं के आवेदन पत्र में शपथ पत्र की अनिवार्यता समाप्त करने के संबंध में।

मोदय,

उत्तर प्रदेश शासन जनसामान्य के विभिन्न शासकीय सेवायें जनसेवा/जनसुविधा/ई-सुविधा/लोकवाणी केन्द्रों के माध्यम से सुगमता एवं शीघ्रतापूर्वक उपलब्ध कराने हेतु प्रतिबद्ध है।

2. वर्तमान में आवेदक को नगर विकास विभाग से सम्बन्धित शासकीय सेवायें यथा जन्म प्रमाण पत्र/मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र के साथ संलग्नक के रूप में अनिवार्य रूप से शपथ पत्र भी जमा करना पड़ता है। यह शपथ पत्र सक्षम प्राधिकारी की उपस्थिति में प्रमाणित/निर्गत किया जाता है। शपथ पत्र बनवाने हेतु आवेदक को अनिवार्य रूप से विभिन्न कार्यालयों में जाना पडता है जिससे उसे अत्यन्त ही असुविधा का सामना करना पडता है।

3. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनसेवा/जनसुविधा/ई-सुविधा/लोकवाणी केन्द्रों के माध्यम से प्रदान की जा रही विभिन्न विभागों की शासकीय सेवाओं हेतु आवेदन की प्रक्रिया को सुगम एवं सुविधा जनक बनाने हेतु शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त निम्न निर्णय लिया गया है:-

GO R

(1.) आवेदक द्वारा नगर विकास विभाग से सम्बन्धित विभिन्न शासकीय सेवायें यथा जन्म प्रमाण पत्र/मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र के साथ संलग्नक के रूप में शपथ पत्र लिया जाना अनिवार्य है, के स्थान पर स्वप्रमाणित घोषणा पत्र स्वीकार किया जाय।(जहाँ भी शपथ पत्र वर्तमान में अनिवार्य है।) स्वप्रमाणित घोषणा पत्र का प्रारूप संलग्नक के रूप में संलग्न है। यह स्वप्रमाणित घोषणा पत्र आवेदन प्रपत्र का ही एक भाग रहेगा।

(2.) जनसेवा/जनसुविधा/ई-सुविधा/लोकवाणी केन्द्रों के माध्यम से नगर विकास विभाग से सम्बन्धित जन्म प्रमाण पत्र/मृत्यु प्रमाण पत्र हेतु विकसित की गयी स्टेट पोर्टल/ एस.एस.डी.जी./ई-डिस्टिक एप्लिकेशन में उक्त के सन्दर्भ में आवश्यक कस्टमाइजेशन किया जाय।

(3.) समस्त जनसेवा/जनसुविधा/ई सुविधा/लोकवाणी केन्द्रों द्वारा संशोधित व्यवस्था अनुसार आवेदन पत्र स्वीकर करने हेतु तुरन्त अग्रिम कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

कृपया उपरोक्तानुसार तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित करके शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीया,

15/7

(अनीता सी. मेश्राम)
सचिव।

<u>संख्या- (1)/नौ-8-2014 तददिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्लिखित को सचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, आई.टी. एवं इलेक्टानिक्स उत्तर प्रदेश शासन।
2. राज्य समन्वयक, सेंटर फार ई- गवर्नेंस उ0प्र0 , अपटान बिल्डिंग, निकट गोमती बैराज, गोमती नगर, लखनऊ।
3. स्टेट इन्फारमेटिक्स आफिसर, एन0आई0सी, योजना भवन, लखनऊ।
4. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(उमा शंकर सिंह)
उप सचिव।

GO R

संख्या- /नौ-8-2014 -20ज/2012 दिनांक जुलाई, 2014 का संलग्नक

स्वप्रमाणित घोषणा-पत्र

मैं .... पुत्र/पुत्री/श्री ....
उम्र........ वर्ष........... व्यवसाय .... निवासी...............................
.... प्रमाणित करते हुए घोषणा करता/करती हूँ कि आवेदन पत्र में दिये गये विवरण/तथ्य मेरी व्यक्तिगत जानकारी एवं विश्वास में शुद्ध एवं सत्य हैं। मैं मिथ्या विवरणों/तथ्यों को देने के परिणामों से भली भाँति अवगत हूँ। यदि आवेदन पत्र मे दिये गये कोई विवरण/तथ्य मिथ्या पाये जाते हैं, तो मैं, मेरे विरूद्ध भा0द0वि0 1960 की धारा-199 व 200 एवं प्रभावी किसी अन्य विधि के अंतर्गत अभियोजन एवं दण्ड के लिये, स्वयं उत्तरदायी होऊँगा/होऊँगी।

स्थान .... आवेदक/आवेदिका के हस्ताक्षर ....
दिनांक .... आवेदक/आवेदिका का नाम............................

GO R